



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277202
CG-DL-E-16102026-277202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 813]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 884 (अ). – जबकि तटीय पोत परिवहन (विदेशी जलयानों का अनुज्ञप्तिकरण) नियम, 2026 का प्रारूप, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 911 (अ), तारीख 19 दिसंबर, 2025, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 19 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले जिस तारीख को उक्त अधिसूचना की प्रतियां जिनमें प्रारूप नियम थे, जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 19 दिसंबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि, प्राप्त आपत्तियां और सुझावों पर विचार किया गया है;

अब, इसलिए, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय पोत परिवहन (विदेशी ध्वज जलयानों का अनुज्ञप्तिकरण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -

(क) तटीय व्यापार में भाग लेने वाला प्रत्येक विदेशी ध्वज जलयान; और

(ख) तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 11 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या संदर्भित संस्थाओं द्वारा भाड़े पर लिया गया प्रत्येक विदेशी ध्वज जलयान।

3. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन परिभाषित महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "निर्यात-आयात व्यापार" से भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी अन्य पत्तन या स्थान तक, या भारत के बाहर किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान तक समुद्र द्वारा माल या यात्रियों का वहन, या भारत के तटीय जल के बाहर कोई सेवा प्रदान करना या भारत में किसी सेवा का आयात करना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" में अन्वेषण, दोहन, अनुसंधान, और समुद्र द्वारा माल या यात्रियों के वहन के अलावा कोई अन्य वाणिज्यिक गतिविधि शामिल है;

(घ) "विदेशी ध्वज जलयान" का अर्थ वह जलयान है जो भारत के अलावा किसी अन्य राज्य के कानूनों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उस राज्य का ध्वज फहराने का हकदार है;

(ङ) "पत्तन" का अर्थ भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) के अधीन परिभाषित पत्तन है; और

(च) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों से संलग्न अनुसूची है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

4. अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन.— (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन महानिदेशक को पहली अनुसूची के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट लागू दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए एक आवेदन में निम्नलिखित वर्ग या प्रकार और अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट की जाएगी, अर्थात्:-

(क) अनुज्ञप्ति का वर्ग या प्रकार -

(i) जलयान चार्टर;

(ii) समय चार्टर; या

(iii) भाड़ा संविदा; और

(ख) अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग -

(i) निर्यात;

(ii) आयात;

(iii) तटीय;

(iv) विश्वव्यापी; या

(v) अपतटीय।

(3) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन लेकन तिथि से कम से कम बहत्तर घंटे पहले किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में विफल रहता है, वह दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विलंब फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

5. अनुज्ञप्ति के लिए फीस.— इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागू फीस संलग्न होगा, जिसका भुगतान भारतकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

6. दस्तावेजों का सत्यापन और अनुज्ञप्ति का निर्गमन.— (1) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन की गई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, अर्थात्: -

(क) एक घोषणा कि आवेदक ने अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण नहीं किया है; और

(ख) निविदाएं, पूछताछ और कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज जो प्रथम अस्वीकृति के अधिकार पर दिशानिर्देशों, भाड़ा संविदा के दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण, आयु और गुणात्मक मानकों और जलयानों पर भारतीय कर्मिदल के नियोजन की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के अधीन अपेक्षित हो सकते हैं।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन पर, और इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर, महानिदेशक तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(3) इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति ऐसी अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो सकती है जिन्हें महानिदेशक आवश्यक समझे।

7. अनुज्ञप्ति के विस्तार या उपांतरण के लिए आवेदन.— (1) एक अनुज्ञप्तिधारी जो जलयानों के पूरा होने में देरी के कारण अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाने का इच्छुक है, वह इस संबंध में महानिदेशक को पहली अनुसूची के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट लागू दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है:

परंतु यह है कि इस उपनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के विस्तार के लिए आवेदन करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी जो अनुज्ञप्ति के विवरणों को उपांतरित करना चाहता है, वह ई-समुद्र पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागू फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

8. पत्तन निकासी के लिए वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने का दायित्व.— तटीय व्यापार में लगे या निर्यात-आयात व्यापार के लिए भाड़े पर लिए गए प्रत्येक विदेशी ध्वज जलयान का अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता, पत्तन निकासी के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी को इन नियमों के अधीन दी गई वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।

9. अधिनियम के अधीन अपराधों या शास्तियों के प्रशमन के लिए आवेदन.— (1) अधिनियम के अधीन किसी अपराध या शास्ति के प्रशमन के लिए आवेदन प्रशमन करने वाले अधिकारी को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रशमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशमन करने वाला अधिकारी ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है:

परंतु यह है कि आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) किसी अपराध या शास्ति के प्रशमन के अनुसार देय राशि, जैसा भी मामला हो, प्रशमन करने वाले अधिकारी द्वारा चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए, प्रशमन के लिए राशि, अपराध के लिए विनिर्दिष्ट जुर्माने या उल्लंघन के लिए शास्ति का आकलन करने पर, जैसा भी मामला हो, और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई सभी जलयानों के लिए प्राप्त सभी फीस या कमीशन या भुगतान के मूल्य और आनुषंगिक खर्चों के साथ निर्धारित की जाएगी।

(5) प्रशमन के लिए आवेदन स्वीकार होने पर, प्रशमन करने वाला अधिकारी भुगतान की जाने वाली राशि दर्शाने वाला आदेश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रशमन करने वाले अधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) या धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी है।

10. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्तियों के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया.— (1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) प्रत्येक अपील दायर की जाएगी—

(क) तिहरे रूप में और शास्ति लगाने वाले आदेश की एक प्रति के साथ;

(ख) अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा:

परंतु यह है कि अपील स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी दायर की जा सकती है।

(3) डाक द्वारा भेजी गई अपील अपील प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख को अपील प्राधिकारी के पास दायर की गई मानी जाएगी।

(4) अपील प्राधिकारी अपनी जांच के आधार पर अपील के लिए आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करेगा:

परंतु यह है कि आवेदन में किसी भी त्रुटि के मामले में, अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को ऐसी त्रुटियों के बारे में सूचित करेगा और उसे ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उन्हें दूर करने की अनुमति देगा।

(5) यदि अपीलार्थी विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है, तो अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अपील का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकता है और ऐसा इंकार ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अपीलार्थी को सूचित किया जाएगा।

(6) यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो अपील प्राधिकारी न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही के अभिलेख मंगा सकता है।

(7) अपील प्राधिकारी, अपील में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

11. अपील प्राधिकारी का आदेश.— (1) अपील प्राधिकारी, -

(क) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकता है; और

(ख) ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(2) इस नियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षरित की जाएगी और अपील प्राधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित की जाएगी और वह अंतिम और आवद्ध होना।

(3) अपील प्राधिकारी अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परंतु यह है कि इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, अपील की प्राप्ति की तारीख वह तारीख होगी जब अपीलार्थी द्वारा सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया हो।

12. राशियों का जमा किया जाना.— इन नियमों के अधीन जुर्माने या शास्तियों के रूप में प्राप्त सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

13. जलयान की निरोध या उसके विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में कौंसलीय कार्यालय को सूचना.— (1) जहां अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक विदेशी ध्वज जलयान को निरुद्ध किया जाता है, वहां ऐसे निरोध की सूचना

उस देश के कौंसलीय कार्यालय को दी जाएगी जिसमें ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है, या उस पत्तन के निकटतम जहां जलयान उस समय है, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में दी जाएगी।

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी विदेशी ध्वज जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के मामले में, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संबंधित कौंसलीय कार्यालय को भी सूचना दी जाएगी।

प्रथम अनुसूची

[नियम 4(1), और 7(1) देखें]

अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

1. कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन आवेदन करता है, वह -

(i) ई-समुद्र पोर्टल या इस प्रयोजन के लिए विकसित किए जा सकने वाले ऐसे अन्य पोर्टल में प्रवेश करेगा, और "चार्टरिंग" विकल्प का चयन करेगा; या

(ii) एक नए उपयोगकर्ता के मामले में, ई-समुद्र पोर्टल या इस प्रयोजन के लिए विकसित किए जा सकने वाले ऐसे अन्य पोर्टल के अधीन भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) के रूप में या जलयान को संलग्न करने या तैनात करने वाली संस्था के रूप में रजिस्टर करेगा।

2. आवेदक यह निर्धारित करेगा कि प्रस्तावित चार्टरिंग वैश्विक निविदा के माध्यम से की जानी है या नहीं और आवेदन के साथ आगे बढ़ने के लिए सही विकल्प चुनेगा।

3. यदि प्रस्तावित चार्टरिंग वैश्विक निविदा के माध्यम से है, -

(i) इस अनुसूची में दी गई तालिका के अनुसार आवेदक द्वारा सभी लागू क्षेत्र विधिवत भरे जाएंगे;

(ii) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे;

(iii) विहित अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान भारतकोष के माध्यम से किया जाएगा;

(iv) आवेदन महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा;

(v) आवेदन और दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन पर, महानिदेशक अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

4. जहां प्रस्तावित पोत परिवहन अनुबंध (चार्टरिंग) वैश्विक निविदा के माध्यम से नहीं है, -

(i) आवेदक पहले भारतीय ध्वज जलयानों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए पोर्टल पर पूछताछ फॉर्म भरेगा, और पांच हजार रुपये का प्रसंस्करण फीस का भुगतान करेगा;

(ii) भारतीय जलयान स्वामी ऐसी पूछताछ के अनुसरण में चार्टरिंग के लिए भारतीय ध्वज जलयान प्रस्तुत कर सकते हैं;

(iii) यदि चार्टर के लिए एक भारतीय ध्वज जलयान का चयन किया जाता है, तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी;

(iv) यदि कोई भारतीय ध्वज जलयान उपलब्ध नहीं है या चयनित नहीं है, तो आवेदक विदेशी ध्वज जलयान के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ सकता है;

(v) इस अनुसूची में दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार आवेदक द्वारा सभी लागू क्षेत्र विधिवत भरे जाएंगे;

(vi) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे;

(vii) विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान भारतकोष के माध्यम से किया जाएगा;

(viii) आवेदन महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा;

(ix) आवेदन और दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन पर, महानिदेशक अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

5. प्रत्येक आवेदक ऑनलाइन आवेदन के साथ, जैसा भी लागू हो, निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करेगा, अर्थात्:

-

- (i) आवेदक के लिए भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) से प्राधिकार;
 - (ii) फीस के भुगतान का प्रमाण (भारतकोष रसीद);
 - (iii) निराक्षेप प्रमाणपत्र या निविदा दस्तावेज, जो भी लागू हो (वैश्विक निविदा का पालन किए जाने पर निविदा का प्रमाण सहित);
 - (iv) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित पोत परिवहन अनुबंध पत्र / चार्टर सौदा विवरण पत्र, जिसमें शामिल संस्थाओं का उल्लेख हो;
 - (v) रजिस्ट्री प्रमाणपत्र;
 - (vi) संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब प्रमाणपत्र;
 - (vii) अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र;
 - (viii) सुरक्षित जनशक्ति दस्तावेज;
 - (ix) अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र;
 - (x) वर्गीकरण या श्रेणी प्रमाणपत्र;
 - (xi) अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र;
 - (xii) अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
 - (xiii) स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र;
 - (xiv) स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र;
 - (xv) स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र;
 - (xvi) अंतर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
 - (xvii) अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
 - (xviii) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र;
 - (xix) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन अनुपालन दस्तावेज;
 - (xx) लंबी दूरी की पहचान और अनुरेखण प्रमाणपत्र;
 - (xxi) रसायनों के परिवहन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र, थोक में हानिप्रद तरल पदार्थों के परिवहन का प्रमाणपत्र या हानिप्रद तरल पदार्थ प्रमाणपत्र, यदि लागू हो;
 - (xxii) आयु और गुणात्मक मानकों के अनुपालन का प्रमाण;
 - (xxiii) भारतीय अधिकारी या कर्मिंदल द्वारा जनशक्ति के अनुपालन को दर्शाने वाली कर्मिंदल सूची, जो मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, वैध पासपोर्ट, योग्यता प्रमाणपत्र और समुद्री कार्मिक पहचान पत्र के साथ; और
 - (xxiv) कोई अन्य दस्तावेज, जो आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान आगे की जांच के लिए महानिदेशक द्वारा अपेक्षित हो सकता है।
6. आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि स्थोरा का परिमाण, लेकन अवधि, लदाई पत्तन, निर्वहन पत्तन और अन्य विवरण जैसे सभी विवरण निराक्षेप प्रमाणपत्र या निविदा दस्तावेजों के साथ सटीक रूप से मेल खाते हों। डाटा क्षेत्र की तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र
---------	---------

(क)	पोत विवरण
-----	-----------

1.	अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या
----	------------------------------------

2.	जलयान का नाम
----	--------------

3.	पोत का प्रकार
----	---------------

4.	ध्वज
----	------

5.	कुल टनभार
----	-----------

6.	आप जो स्थोरा ले जाने का प्रस्ताव करते हैं उसका परिमाण (मीट्रिक टन / किलो बैरल में इंगित करें)
----	---

7.	लदाई पत्तन
----	------------

8.	जलयान के परिदान की तारीख
----	--------------------------

क्र.सं.	क्षेत्र
---------	---------

9.	जलयान की आयु (वर्षों में)
----	---------------------------

10.	सकल टनभार
-----	-----------

11.	स्थोरा की प्रकृति
-----	-------------------

12.	लदान दिवस और रद्दीकरण अवधि
-----	----------------------------

13.	चार्टर की अवधि (दिनों में)
14.	पत्तन निकासी की तारीख
15.	सुरक्षित जनशक्ति दस्तावेज के अनुसार कर्मिदल की कुल संख्या
16.	भारतीय कैडेट की कुल संख्या
17.	भारतीय कर्मिदल की कुल संख्या (कैडेट सहित)
18.	भारतीय कर्मिदल प्रतिशत
19.	भारतीय कैडेट प्रतिशत
(ख) पता विवरण	
क. आवेदक का विवरण	
1.	आवेदक का नाम
2.	आवेदक का फोन नंबर
3.	आवेदक की ई-मेल आईडी
4.	देश
5.	आवेदक का पता
6.	फैक्स

7.	वेब-पेज यूआरएल
----	----------------

ख. भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) का विवरण
--

1.	भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) का नाम
----	-------------------------------------

2.	भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) की राष्ट्रियता
----	---

3.	देश
----	-----

4.	भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) का पता
----	-------------------------------------

5.	फैक्स
----	-------

6.	वेब-पेज यूआरएल
----	----------------

7.	फोन
----	-----

8.	ई-मेल
----	-------

9.	स्वामी का नाम और पता
----	----------------------

10.	व्यवस्थापक स्वामी का नाम और पता
-----	---------------------------------

(ग) प्रमाणपत्र विवरण

1.	लागू प्रमाणपत्र अपलोड करें
----	----------------------------

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "वैश्विक निविदा" का अर्थ ऐसी निविदा है जिसके लिए एक निविदा विज्ञापन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र या वाणिज्यिक वेबसाइटों या निविदा जारी करने वाली एजेंसी या संगठन या कंपनी की वेबसाइट पर विधिवत प्रकाशित किया गया है।

दूसरी अनुसूची
[नियम 4(4), 5 और 7(2) देखें]

अनुज्ञप्ति के लिए फीस

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए लागू फीस नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट है:

तालिका

क्रम सं.	अनुज्ञप्तियों का वर्ग या प्रकार	लागू फीस	फीस की गणना का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भारतीय जलयान के लिए पूछताछ फीस प्रति आवेदन 5000 रु.		-
2.	एकल जलयान के आधार पर आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति	पहले 30 दिनों के लिए 40,000 रु. और उसके बाद 30 दिनों के प्रत्येक सन्निहित खंड के लिए, जिसमें दिनों के संदर्भ में भिन्न भी शामिल हैं।	40 या 60 दिन → 80,000 रु.
3.	समय चार्टर के आधार पर आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति	पहले 30 दिनों के लिए 40,000 रु., साथ ही पहले 30 दिनों के बाद किसी भी भिन्न के लिए प्रति दिन 1,500 रु.	40 दिन → 55,000 रु. [40,000 रु. + 15,00 रु. X 10]]
4.	एकल जलयान के आधार पर तटीय अनुज्ञप्ति	पहले 30 दिनों के लिए 60,000 रु. और उसके बाद 30 दिनों के प्रत्येक सन्निहित खंड के लिए, भिन्न सहित	40 या 60 दिन → 1,20,000 रु.
5.	समय चार्टर के आधार पर तटीय अनुज्ञप्ति	पहले 30 दिनों के लिए 60,000 रु.; इन खंडों के बाद किसी भी भिन्न के लिए 1,500 रु. प्रति दिन और भिन्नात्मक अवधि के लिए 20,000 रु.	40 दिन → 95,000 रु. [60,000 रु. + 20,000 रु. + 15,00 X 10]]
6.	समय चार्टर के आधार पर विश्वव्यापी अनुज्ञप्ति	पहले 30 दिनों के लिए 70,000 रु.; इन खंडों के बाद किसी भी भिन्न के लिए 1,500 रु. प्रति दिन और भिन्नात्मक अवधि के लिए 30,000 रु.	40 दिन → 1,15,000 रु. [70,000 +

			30,000 रु. + (15,00 X 10)]
7.	अपतटीय संचालन अनुज्ञप्ति	अपतटीय संचालन में परिचालन करने वाले जलयानों के मूल के आधार पर प्रति जलयान प्रति माह 40,000 रु.	40 दिन → 80,000 रु. [40,000 x 2 महीने]
8.	विलंब फीस	50,000 रु.	-
9.	अनुज्ञप्ति उपांतरण फीस	10,000 रु.	-

2 (क) ऊपर दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त, ऐसे अपतटीय जलयान के भाड़े पर लेने वाले (चार्टरर) द्वारा एक अलग उद्ग्रहण देय होगा जो भारतीय पोत परिवहन रजिस्ट्रार के साथ वर्गीकृत नहीं है और जो पच्चीस वर्ष से अधिक पुराना है।

(ख) महानिदेशक को निम्नलिखित दरों पर उद्ग्रहण देय होगा, अर्थात् -

(i) सभी प्रकार के स्व-चालित अपतटीय सेवा जलयान के मामले में, जैसे कि लंगर संचालन टग जहाज़, टग जहाज़, आपूर्ति जलयान या सहायक जलयान, दैनिक चार्टर किराया दर का एक प्रतिशत, अमेरिकी डॉलर में, जिसके लिए चार्टर किराया अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, को उन दिनों की संख्या से गुणा करके जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है;

(ii) गैर-चालित जलयान के मामले में, जैसे कि निष्क्रिय बार्ज, पोंटून, निष्क्रिय आवास बार्ज या जैक-अप रिग, पैरा 2 की उपधारा (ख) के खंड (i) के अधीन देय उद्ग्रहण का पच्चीस प्रतिशत।

तीसरी अनुसूची
[नियम 6 (2) देखें]
अनुज्ञप्तियों का प्ररूप

नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए निम्नलिखित प्ररूपों का उपयोग किया जाएगा:

प्ररूप-क

माल- वहन संविदा के अधीन जलयानों को भाड़े पर लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन

सं.:

तारीख:

सेवा में,

मेसर्स

मार्फत मेसर्स

विषय: "....." से "....." तक प्रेषण के लिए माल वहन संविदा के अधीन जलयानों को भाड़े पर लेने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर तारीख के आपके आवेदन के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश

दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने "....." से "....." तक, माल

वहन संविदा के अधीन, ... तक की अवधि के दौरान, प्रत्येक लगभग

..... मात्रा के प्रेषणों के परिवहन के लिए 'सैद्धांतिक

अनुमोदन' प्रदान किया है।

चूंकि माल- वहन संविदा के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु भुगतान पहले ही किया जा चुका है, अतः संविदा की अवधि के दौरान जैसे ही जलयान/जलयानों को अंतिम रूप दिया जाए, पचास प्रतिशत शेष भुगतान करने के पश्चात प्रत्येक प्रेषण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए, यह अवधि से आरंभ होती है।

निर्गमन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ख

विदेशी ध्वज जलयानों के लिए अनुज्ञप्ति (आयात / निर्यात / विश्वव्यापी / तटीय)
अनुज्ञप्ति

सं. _____ तारीख: _____

सेवा में
मैसर्स
सी/ओ मैसर्स

विषय : विदेशी ध्वज जलयान ' _____ 'के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना।

उपर्युक्त विषय आपके तारीख के आवेदन के संदर्भ में, पर विदेशी ध्वज पोत _____ " को चार्टरिंग हेतु अनुज्ञप्ति निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अनुदत्त की है:

1.	जलयान का नाम	
2.	आईएमओ संख्या	
3.	ध्वज	
4.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	
5.	स्वामी का नाम	
6.	डिस्पोजेंट स्वामी	
7.	चार्टरर का नाम	
8.	माल	
9.	मात्रा	
10.	लेकन	
11.	चार्टर की अवधि	
12.	लोडिंग का पत्तन	
13.	माल उतारने का पत्तन	
14.	पी और आई क्लब	
15.	वर्ग	
16.	शर्तें	1. यह अनुज्ञप्ति इस शर्त के अधीन है कि आप चार्टर/अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान हर समय विधिमान्य सभी लागू प्रमाणपत्र और जलयान के पी और आई क्लब प्रमाणपत्र को अपने पास रखेंगे। 2. भारतीय जलक्षेत्र में परिचालन करते समय जलयान पर उपयोग किए जाने वाले समुद्रीय मोबाइल वी-सैट टर्मिनल को 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उडान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। 3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से अनुज्ञप्ति अविधिमान्य हो जाएगी।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ग

अपतटीय / विनिर्दिष्ट अवधि अनुज्ञप्ति (एस.पी.एल.) के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति

सं.

तारीख:

सेवा में

मैसर्स

सी/ओ मैसर्स

विषय : विदेशी ध्वज जलयान '-----' के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

1.	जलयान का नाम	
2.	आईएमओ संख्या	
3.	ध्वज	
4.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	
5.	अपतटीय कार्य करने वाली कंपनी का नाम	
6.	अवधि	
7.	संचालन का क्षेत्र	
8.	पी और आई क्लब	
9.	वर्ग	
10.	शर्तें	1. यह अनुज्ञप्ति इस शर्त के अधीन है कि आप अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान हर समय विधिमान्य सभी लागू प्रमाणपत्र और पोत के पी और आई क्लब प्रमाणपत्र को अपने पास रखेंगे। 2. भारतीय समुद्र में परिचालन करते समय जलयान पर उपयोग किए जाने वाले समुद्रीय मोबाइल वी-सैट टर्मिनल को 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उद्घान और समुद्रीय संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। 3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से अनुज्ञप्ति अविधिमान्य हो जाएगी। 4. सामान्य पोत चालन कर्मिंदल के अलावा .. व्यक्तियों से अधिक न ले जाए जाएं।
11.	डीपीए का नाम और संपर्क ब्यौरा	

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

चौथी अनुसूची

[नियम 9(1) और (3) देखें]

अपराधों या दंडों के प्रशमन के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में

सक्षम प्राधिकारी

[पदनाम, जैसे - प्रधान अधिकारी]

[कार्यालय का पता]

विषय: तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा [सुसंगत धारा] के अधीन अपराध/दण्ड के प्रशमन हेतु आवेदन।

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं, [पूरा नाम], पुत्र/पुत्री [पिता का नाम], जो [पता] का निवासी हूँ, तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा [सुसंगत धारा] के अधीन अपराध/दंड के प्रशमन के लिए आवेदन करता हूँ।

1. आवेदक का ब्यौरा

- पूरा नाम:
- पैन/रजिस्ट्रीकरण संख्या.:
- पता:
- संपर्क सं./ईमेल:

2. अपराध/दंड का ब्यौरा

- किए गए अपराध/दंड की प्रकृति:
- उल्लंघन की गई विधि के सुसंगत उपबंध :
- अपराध/जुर्माना किए जाने की तारीख(तारीखें):
- मामले के संक्षिप्त तथ्य:

3. कार्यवाही की स्थिति (केवल अपराधों के प्रशमन का अनुरोध करने की स्थिति में ही भरा जाए)

- क्या अभियोजन शुरू किया जा चुका है, ब्यौरों के साथ:
- कार्यवाही का चरण (यदि शुरू की गई हो) और उसका ब्यौरा:
- जारी किए गए आदेश का ब्यौरा (जहाँ भी लागू हो):

4. प्रशमन का अनुरोध करने के कारण

- मामले की परिस्थितियों स्पष्ट करें:
- दुराशय न होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें:

5. भुगतान का ब्यौरा और आवेदक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक या प्रभार का विवरण

6. वचनबंध

मैं प्राधिकरण द्वारा अवधारित की गई प्रशमन की रकम का भुगतान करने और अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि लागू उपबंधों के अनुसार अपराध/जुर्माने का प्रशमन कर दिया जाए।

स्थान:

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

मुहर (यदि लागू हो)

अपराध और शास्तियों के प्रशमन के लिए लागू राशि की सूची

क्र. सं.	तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा	विषय वस्तु	प्रशमन के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 15	धारा 3 के उल्लंघन में तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड।	चौदह लाख रुपये, या यात्रा के लिए जलयान के मालिक या चार्टरर द्वारा प्राप्त सभी शुल्क या कमीशन या भुगतान के मूल्य का तीन गुना, जिसे प्रशमन के लिए आवेदन करते समय घोषित किया जाएगा।
2.	धारा 16	अनुज्ञप्ति के विधिमान्य न होने के बाद तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड।	नौ लाख रुपये, या उल्लंघन करते हुए की गई सभी यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्राप्त सभी शुल्क या कमीशन या भुगतान के मूल्य का डेढ़ गुना, जिसे प्रशमन के लिए आवेदन करते समय घोषित किया जाएगा।
3.	धारा 17	धारा 11 का उल्लंघन करते हुए जलयान को समुद्र में ले जाने के लिए दंड।	चौदह लाख रुपये, या यात्रा के लिए जलयान के मालिक या चार्टरर द्वारा प्राप्त सभी शुल्क या कमीशन या भुगतान के मूल्य का तीन गुना, जिसे प्रशमन के लिए आवेदन करते समय घोषित किया जाएगा।
4.	धारा 18	सूचना प्रस्तुत करने में विफलता या सूचना के पश्चात् असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड।	चालीस हजार रुपये।
5.	धारा 19	विरुद्ध आदेश के उल्लंघन के लिए दंड।	चौदह लाख रुपए।
6.	धारा 20	जलयान निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने की सज़ा।	पचास हजार रुपये और ऐसे व्यक्ति को समुद्र में ले जाने से संबंधित सभी खर्च।

7.	धारा 21	गलत या भ्रामक जानकारी देने पर जुर्माना।	पचास हजार रुपये।
8.	धारा 22	अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति।	नौ लाख रुपये, या उल्लंघन करते हुए की गई सभी यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्राप्त सभी शुल्क या कमीशन या भुगतान के मूल्य का डेढ़ गुना, जिसे प्रशमन के लिए आवेदन करते समय घोषित किया जाएगा।
9.	धारा 23	महानिदेशक के निदेश का पालन न करने पर दंड।	चार लाख रुपये, या ऐसे निदेशों का उल्लंघन करते हुए की गई सभी यात्राओं के लिए ऐसे अनुज्ञप्तिधारक या अभिकर्ता द्वारा प्राप्त सभी शुल्कों या कमीशन या भुगतान के मूल्य का डेढ़ गुना, जिसे प्रशमन के लिए आवेदन करते समय घोषित किया जाएगा।
10.	धारा 24	केंद्रीय सरकार के आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति।	पंद्रह लाख रुपये।
11.	धारा 25	उल्लंघन या अननुपालन के लिए साधारण उपबंध	पचास हजार रुपये।

पाँचवी अनुसूची

[नियम 10(1) देखें]

शास्ति अधिरोपित करने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए आवेदन

अपीलीय प्राधिकरण को आवेदन के लिए प्ररूप

1. अपीलार्थी का ब्यौरा:

1.1. अपीलार्थी का नाम:

1.2. अपीलार्थी का पदनाम:

1.3. अपीलार्थी का पता:

1.4. अपीलार्थी का टेलीफोन/मोबाइल नं.:

1.5. अपीलार्थी की ईमेल आईडी:

1.6. अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि का नाम, पता, दूरभाष/मोबाइल नं और ईमेल आईडी, यदि हो तो:

2. तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन अपील किए गए आदेश का ब्यौरा:

2.1. तारीख:

2.2. संख्या:

2.3. न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम :

2.5. तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा जिसका उल्लंघन संदर्भित है:

2.6. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड:

3. अपील का ब्यौरा:

3.1. तथ्यों का विवरण: (कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण और पैरा नंबरों सहित मामलों का विस्तृत विवरण प्रदान करें, जिसमें अपील में उत्पन्न होने वाले विधि के प्रश्न शामिल हों, यथासंभव प्रत्येक पैरा का एक अलग विवादक से निपटान हो)

3.2. शिकायत का विवरण: (तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 30 की उपधारा (1) के न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के साथ विवादक को स्पष्ट करते हुए शिकायत का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें)

3.3. अपील का आधार: (अपील का स्पष्ट आधार और संक्षिप्त विवरण और सुसंगत कानूनी प्रावधान, यदि कोई हो, जो विश्वसनीय हो, प्रदान करें)

3.4. साक्ष्य: (अपील के लिए न्यायोचित/आधार हेतु साक्ष्य प्रदान करें और एक से अधिक साक्ष्य की दशा में, उसकी अनुक्रमित कालानुक्रमिक सूची)

3.5. प्रार्थना: (मांगे गये अनुतोष को स्पष्ट रूप से अनुबंधित करें)

स्थान:

तारीख:

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

छठी अनुसूची
[नियम 13(1) देखें]

कौंसलीय कार्यालय को निरुद्ध आदेश की सूचना का रूपविधान

निरुद्ध आदेश

निरुद्ध आदेश सं.	तारीख:
-----------------------	--------------

जलयान का नाम	आईएमओ सं.	रजिस्ट्री का पत्तन	वर्तमान अवस्थिति	मास्टर का नाम
			पत्तन का नाम	

तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा के संबंध में जलयान _____, आईएमओ संख्या _____ के साथ, अननुपालन (अननुपालन को इंगित करें) की सूचना दी है।

"तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकारी, (नाम और पदनाम यथाप्राधिकृत, एतद्वारा नीचे दिए गए टिप्पण के अध्यक्षीन, जलयान _____, आईसंख्या .ओ.एम. _____, के निरुद्ध करने का आदेश देते हैं:

टिप्पण: -

तदनुसार (जलयान का नाम) _____, आईसंख्या .ओ.एम. _____ को निरुद्ध किया जाता है और इस कार्यालय की अनुमति के बिना _____ (पत्तन का नाम (पत्तन की सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा सूचित न किया जाए, अधिनियम की लागू धारा के अनुसार जलयान को सभी आवश्यक अनुपालनों को पूरा करना होगा और अधिकारी के समक्ष पुनः सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

नाम.....

हस्ताक्षर.....

तारीख

- प्रतिलिपि (जहां और जैसा लागू हो)

1. मास्टर (यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि मालिक /अभिकर्ता/ आरओ को तुरंत सूचित किया जाए)
2. महानिदेशक
3. मालिक/अभिकर्ता
4. जलयान का ध्वज राज्य प्रशासन
5. उप संरक्षक/ संबन्धित पत्तन प्राधिकरण।
6. सीमा शुल्क आयुक्त
7. भारतीय तटरक्षक बल
8. वर्गीकरण सोसाइटी (आरओ)
9. जलयान के ध्वज का राजदूतावास/वाणिज्यदूतावास

टिप्पण: जलयान के मास्टर को इस आदेश के विरुद्ध प्रधान अधिकारी को 'अपील का अधिकार' हैं।

सातवीं अनुसूची
[नियम 13 (2) देखें]

कौंसलीय कार्यालय को विदेशी ध्वज जलयान के अनुज्ञप्तिधारक, अभिकर्ता आदि के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना का प्ररूप।

सेवा में,

[जलयान के ध्वज का कौंसलीय कार्यालय]

[पता]

विषय: तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा [सुसंगत धारा] के अधीन कार्यवाही की सूचना।

महोदया/महोदय,

इसके द्वारा जलयान के)अनुज्ञप्तिधारक, अभिकर्ता आदि का नाम के (विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है।"

1. जलयान का ब्यौरा

- नाम:
- आईएमओ सं.:
- ध्वज:
- कोई अन्य ब्यौरा:

2. अपराध का ब्यौरा

- कारित अपराध की प्रकृति:
- उल्लंघन की गई विधि के सुसंगत उपबंध:
- अपराध कारित की तारीख (तारिखें):
- मामले के संक्षिप्त तथ्य:

3. कार्यवाही की स्थिति

- क्या अभियोजन शुरू किया जा चुका है, ब्यौरे सहित:
- कार्यवाही का चरण (यदि शुरू हो गयी) ब्यौरे सहित:

इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 31 यथा अपेक्षित सूचना को अभिलिखित किया जाए।

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम (यदि, लागू हो तो):

मुहर (यदि, लागू हो तो)

[फा. सं. एसवाई-19014/182/2025-एमजी]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS.**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2026

G.S.R. 884(E).— Whereas the draft of the Coastal Shipping (Licencing of Foreign Vessels) Rules 2026, was published as required by sub-section (1) of section 39 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, number G.S.R. 911(E), dated the 19th December, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

AND whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 19th December, 2025;

AND whereas, the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (b), (c), (d), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) and (q) of sub-section (2) of section 39 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Coastal Shipping (Licencing of Foreign Flag Vessels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — (1) These rules shall apply to—

(a) every foreign flag vessel participating in coasting trade; and

(b) every foreign flag vessel chartered by the entities referred to or specified in sub-section (1) of section 11 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025).

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025);

(b) “appellate authority” means the Director-General as defined under clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

(c) “EXIM trade” means carriage of goods or passengers by sea from any port or place in India to any other port or place outside India, or from any port or place outside India to any other port or place in India, or performing any service outside India’s coastal waters or import of any service into India.

Explanation. — For the purposes of this clause, “service” includes exploration, exploitation, research, and any other commercial activity other than carriage of goods or passengers by sea;

(d) foreign flag vessel” means a vessel which is registered under the laws of a State other than India and is entitled to fly the flag of that State;

(e) “port” means a port as defined under clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025); and

(f) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Application for grant of licence. — (1) An application for the grant of a licence under these rules shall be made to the Director-General in accordance with the First Schedule along with the applicable documents specified therein.

(2) An application for grant of a licence under sub-rule (1) shall specify the following class or type and category of licence, namely: -

(a) class or type of licence—

- (i) voyage charter;
- (ii) time charter; or
- (iii) Contract of Affreightment; and

(b) category of licence—

- (i) export;
- (ii) import;
- (iii) coastal;
- (iv) worldwide; or
- (v) offshore.

(3) Every application for the grant of a licence under this rule shall be made at least seventy-two hours prior to the laycan date.

(4) Any person who fails to make an application within the time specified under sub-rule (3) shall be liable to pay such late fees as specified in the Second Schedule.

5. Fees for licence.— Every application for grant of a licence under these rules shall be accompanied by the applicable fees as specified in the Second Schedule, which shall be paid through the Bharatkosh portal.

6. Verification of documents and issuance of licence.— (1) Every application for grant of a licence made under sub-rule (1) of rule 4 shall be accompanied by the following documents, namely: —

- (a) a declaration that the applicant has not engaged in violation of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder; and
- (b) tenders, enquiries and any other additional documents that may be required under the Guidelines on Right of First Refusal, evidence of compliance with the Guidelines for Contract of Affreightment, age and qualitative parameters and documents confirming placement of Indian crew on board the vessels.

(2) Upon satisfactory verification of documents submitted under clauses (a) and (b) of sub-rule (1), and upon compliance with such other requirements as may be specified under these rules, the Director-General shall grant the licence in the form specified in the Third Schedule.

(3) A licence granted under these rules may be subject to such additional conditions as the Director-General may consider necessary.

7. Application for extension or modification of licence.— (1) A licensee who seeks to extend the period of the licence due to delay in completion of the voyage may make an application in this regard to the Director-General in accordance with the First Schedule along with the applicable documents specified therein:

Provided that it shall not be necessary to obtain a No Objection Certificate by the licensee while making an application for extension of the licence under this sub-rule.

(2) Any licensee who seeks to modify the particulars of the licence may make an application to the Director-General through the e-Samudra portal along with the applicable fees specified in the Second Schedule.

8. Obligation to produce a valid licence for port clearance. — The licensee or agent of every foreign flag vessel engaged in coasting trade or chartered for EXIM trade, shall produce a valid licence granted under these rules to the proper officer for the purpose of port clearance.

9. Application for compounding of offences or penalties under Act. — (1) An application for the compounding of an offence or a penalty under the Act shall be made to the compounding officer in the form specified in the Fourth Schedule.

(2) Upon receipt of an application for compounding under sub-rule (1), the compounding officer may either accept or reject such application:

Provided that in case of rejection of an application, the applicant shall be given an opportunity to be heard and the reasons for such rejection shall be recorded in writing.

(3) The sum to be paid pursuant to compounding of an offence or a penalty, as may be applicable, shall be determined by the compounding officer as per the Table specified in the Fourth Schedule.

(4) For the purpose of sub-rule (3), the sum for compounding shall be determined upon assessing the fine specified for the offence or the penalty for the contravention, as the case may be, along with the value of all fees or commission or payments received by the licensee of the vessel for all voyages conducted and incidental expenses.

(5) Upon acceptance of an application for compounding, the compounding officer shall issue an order indicating the sum to be paid.

Explanation.— For the purposes of this rule, “compounding officer” means the officer notified by the Central Government under sub-section (1) of section 26 or sub-section (5) of section 30 of the Act.

10. Procedure for appeal against penalties imposed by adjudicating officer. — (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under sub-section (1) of section 30 of the Act may prefer an appeal to the appellate authority in the format specified in the Fifth Schedule within a period of thirty days from the date of receipt of such order.

(2) Every appeal shall be filed—

(a) in triplicate and accompanied by a copy of the order imposing the penalty;

(b) by the appellant in person or his duly authorised representative or an advocate duly authorised in this behalf:

Provided that the appeal may also be filed by speed post or through electronic means.

(3) An appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day of its receipt by the office of the appellate authority.

(4) The appellate authority shall admit or reject the application for appeal based on its scrutiny:

Provided that in case of any defects in an application, the appellate authority shall intimate the appellant about such defects and allow him to remove the same within a period of fifteen days from the date of such intimation.

(5) If the appellant fails to remove such defects within the specified time, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, refuse to register such appeal and such refusal shall be communicated to the appellant within a period of seven days from the date of such order.

(6) In case an appeal is admitted, the appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.

(7) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as it may consider appropriate.

11. Order of appellate authority. — (1) The appellate authority may, -

(a) confirm, modify or set aside the order of the adjudicating officer; and

(b) pass such order as it may deem fit.

(2) Every order passed under this rule shall be dated, signed and affixed with the seal of the appellate authority and shall be final and binding.

(3) The appellate authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal:

Provided that for the purposes of this sub-rule, the date of receipt of the appeal shall be the date when all the defects are removed by the appellant.

12. Crediting of sums. — All sums received by way of fines or penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

13. Notice to consular office regarding detention of or proceedings against a vessel. — (1) Where a foreign flag vessel is detained under the provisions of the Act, a notice of such detention shall be served on the consular office of the country in which such vessel is registered, or nearest to the port where the vessel is for the time being, in the form specified in the Sixth Schedule.

(2) In case of any proceeding against a licensee or agent of a foreign flag vessel under the provisions of the Act, a notice shall also be served on the relevant consular office, in the form specified in the Seventh Schedule.

FIRST SCHEDULE**[see rules 4(1), and 7(1)]****APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE AND PROCEDURE FOR MAKING AN APPLICATION FOR LICENCE****1. Any person making an online application shall—**

- (i) log into the e-Samudra Portal or such other portal as may be developed for this purpose, and select the option “Chartering”; or
- (ii) in case of a new user, register as a charterer or as an entity engaging or deploying the vessel under e-Samudra Portal or such other portal as may be developed for this purpose.

2. The applicant shall determine whether the proposed chartering is to be carried out through a global tender and choose the correct option to proceed with the application.**3. If the proposed chartering is through global tender, —**

- (i) all applicable fields shall be duly filled by the applicant as per the Table given in this Schedule;
- (ii) all required supporting documents as specified in paragraph 5 shall be uploaded;
- (iii) payment of the prescribed licence fee shall be made through Bharatkosh;
- (iv) the application shall be submitted to the Director-General;
- (v) upon satisfactory verification of the application and documents, the Director-General may grant a licence.

4. Where the proposed chartering is not through global tender, —

- (i) the applicant shall first fill the enquiry form on the portal, to ascertain the availability of Indian flag vessels, and pay a processing fee of five thousand rupees;
- (ii) the Indian vessel owners may offer Indian flag vessels for chartering pursuant to such enquiry;
- (iii) if an Indian flag vessel is selected for charter, the process shall stand concluded;
- (iv) if no Indian flag vessel is available or selected, the applicant may proceed to fill the application form for foreign flag vessel;
- (v) all applicable fields shall be duly filled by the applicant as specified in the Table given in this Schedule;
- (vi) all required supporting documents as specified in paragraph 5 shall be uploaded;
- (vii) payment of the specified licence fee shall be made through Bharatkosh;
- (viii) the application shall be submitted to the Director-General;
- (ix) upon satisfactory verification of the application and documents, the Director-General may grant a licence.

5. Every applicant shall upload the following documents along with the online application, as applicable, namely: —

- (i) authorisation from charterer for applicant;
- (ii) proof of payment of fees (Bharatkosh receipt);
- (iii) No Objection Certificate or tender document, whichever is applicable (including proof of tendering, if global tender has been followed);

- (iv) Charter Party Agreement or Fixture Note signed by parties and indicating the entities involved;
- (v) Certificate of Registry;
- (vi) Protection and Indemnity Club Certificate;
- (vii) International Ship Security Certificate;
- (viii) Safe Manning Document;
- (ix) International Tonnage Certificate;
- (x) Classification or Class Certificate;
- (xi) International Load Line Certificate;
- (xii) International Oil Pollution Prevention Certificate;
- (xiii) Cargo Ship Safety Construction Certificate;
- (xiv) Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- (xv) Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- (xvi) International Sewage Pollution Prevention Certificate;
- (xvii) International Air Pollution Prevention Certificate;
- (xviii) Safety Management Certificate under the International Safety Management Code;
- (xix) Document of Compliance under the International Safety Management Code;
- (xx) Long Range Identification and Tracking Certificate;
- (xxi) Certificate of Fitness to carry chemicals, Certificate to carry noxious liquid substances in bulk or Noxious Liquid Substance Certificate, if applicable;
- (xxii) Proof of compliance with the age and qualitative parameters;
- (xxiii) Crew List indicating compliance to manning by Indian officer or crew, duly signed by the Master, with valid Passport(s), Certificate of Competency and Seaman IDs; and
- (xxiv) any other document, as may be required by the Director-General for further scrutiny during processing of the application.

6. The applicant shall ensure that all particulars such as quantity of cargo, laycan period, port of loading, port of discharge, and other details correspond accurately with the No Objection Certificate or tender documents.

Table of data fields

Sr. No.	Field
(A) Ship Particulars	
1.	IMO Number
2.	Name of the Vessel
3.	Ship Type
4.	Flag
5.	Dead Weight (DWT)

6.	Quantity of Cargo you propose to carry (Indicate in MT/KBBL)
7.	Port of Loading
8.	Date of Delivery of the vessel
9.	Age of Vessel (in years)
10.	Gross Tonnage
11.	Nature of Cargo
12.	Laycan
13.	Period of Charter (in Days)
14.	Port Clearance Date
15.	Total Number of Crew as per Safe Manning Document
16.	Total Number of Indian Cadet
17.	Total Number of Indian Crew (incl. Cadet)
18.	Indian Crew Percentage
19.	Indian Cadet Percentage
(B) Address Particulars	
A. Details of the Applicant	
1.	Applicant Name
2.	Applicant Phone Number
3.	Applicant e-Mail ID
4.	Country
5.	Applicant address
6.	Fax
7.	Web-Page URL
B. Details of the Charterer	
1.	Name of Charterer
2.	Charterer Nationality
3.	Country
4.	Charterer Address
5.	Fax
6.	Web-Page URL
7.	Phone
8.	E-mail
9.	Name and Address of Owner
10.	Name and Address of Disponent Owner
(C) Certificate Particulars	
1.	Upload applicable Certificates

Explanation. — For the purposes of this Schedule, “global tender” means a tender for which a tender advertisement has been duly published in a national or international newspaper or commercial websites or the website of the agency or organisation or company floating the tender.

SECOND SCHEDULE**[see rules 4 (4), 5 and 7(2)]****FEES FOR LICENCE**

1. The fees applicable for issuance of licences is specified in the Table below:

Table

S.No.	Class or type of licences	Fees applicable	Illustration of the manner of calculation of fees
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Enquiry for Indian vessel fees Rs. 5000 per application	-
2.	Import / Export Licence on Single Voyage Basis	Rs. 40,000 for the first 30 days and for every contiguous block of 30 days thereafter, including fractions in terms of days.	40 or 60 days → Rs. 80,000
3.	Import/Export Licence on Time Charter Basis	Rs. 40,000 for the first 30 days, plus Rs. 1,500 per day for any fraction beyond the first 30 days.	40 days → Rs. 55,000 [Rs. 40,000 + (Rs. 1,500 × 10)]
4.	Coasting Licence on Single Voyage Basis	Rs. 60,000 for the first 30 days and for every contiguous block of 30 days thereafter, including fractions.	40 or 60 days → Rs. 1,20,000
5.	Coasting Licence on Time Charter Basis	Rs. 60,000 for the first 30 days; any fraction beyond these blocks is charged at Rs. 1,500 per day plus Rs. 20,000 for the fractional period.	40 days → Rs. 95,000 [60,000 + 20,000 + (1,500 × 10)]
6.	Worldwide Licence on Time Charter Basis	Rs. 70,000 for the first 30 days; any fraction beyond these blocks is charged at Rs. 1,500 per day plus Rs. 30,000 for the fractional period.	40 days → Rs. 1,15,000 [70,000 + 30,000 + (1,500 × 10)]
7.	Offshore Operation Licence	Rs. 40,000 per vessel per month for foreign-flag vessels operating in offshore operations.	40 days → Rs. 80,000 [Rs. 40,000 × 2 months]
8.		Late fees Rs. 50,000	—
9.		Licence modification fees Rs. 10,000	—

2 (a) In addition to the fees specified in the Table above, a separate levy shall be payable by the charterer of an offshore vessel which is not classed with the Indian Register of Shipping and is more than twenty-five years of age.

(b) The levy shall be payable to the Director-General at the following rates, namely: —

(i) in the case of a self-propelled offshore service vessel of all description, such as Anchor Handling Tug, Tug, Supply Vessel or Support Vessel, one per cent. of the daily charter hire rate, in United States dollars, multiplied by the number of days for which the charter hire licence is issued;

(ii) in the case of a non-propelled vessel such as a Dumb Barge, Pontoon, Non-propelled Accommodation Barge or Jack-up Rig, twenty-five per cent. of the levy payable under clause (i) of sub-paragraph (b) of paragraph 2.

THIRD SCHEDULE

[See rule 6(2)]

FORMAT OF LICENCES

The following formats shall be used for various types of licences as specified below:

Form—A

In-Principal Approval for Chartering of Vessels under Contract of Affreightment

No. _____ **Dated:** _____

To/ सेवामे

M/s.

C/o M/s.

Subject: In-principle approval for chartering of vessels under Contract of Affreightment for Shipment from “ ” to “ ”, .

Sir,

With reference to your application dated _____ on the above subject, I am directed to inform that the Competent Authority has accorded ‘In-principle approval’ for transportation of Shipments each of quantity about _____ of _____ from “ ” to “ ”, on Contract of Affreightment (CoA during the period from _____ to _____ .

Since the payment for ‘In principle’ approval for CoA has already been made, necessary approval for each shipment should be taken after making the balance payment of fifty percent as and when the vessel(s) is/are finalised during the period of contract from _____.

Signature of Issuing Authority

Form-B

Licence for Foreign Flag Vessels (Import/Export/ Worldwide/Coastal)
Licence

No. _____ **Dated:** _____

To

M/s

C/o M/s

Sub.: Grant of Licence for foreign flag vessel " _____ ".

With reference to your application dated _____ on the captioned subject, the licence for chartering of the foreign flag vessel" _____ " is accorded as per the details mentioned below.:

1.	Name of vessel	
2.	IMO Number	
3.	Flag	
4.	Type of Licence	
5.	Name of the Owner	
6.	Disponent Owner	
7.	Name of Charterer	
8.	Cargo	
9.	Quantity	
10.	Laycan	
11.	Period of Charter	
12.	Port of loading	
13.	Port of discharge	
14.	P & I Club	
15.	Class	
16.	Conditions	1. This Licence is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club certificate of the vessel, valid at all times during the Licence period. 2. Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018. 3. Any changes in the above particulars renders the licence invalid.

Signature of Issuing Authority

Form-C

licence for Offshore / Specified Period Licence (SPL)

Licence

No.**Dated:**To

M/s. ----

C/o M/s ---

Sub.: Grant of Licence for foreign flag vessel '-----'

1.	Name of vessel	
2.	IMO Number	
3.	Flag	
4.	Type of Licence	
5.	Name of the company performing offshore work	
6.	Period	
7.	Area of operation	
8.	P & I Club	
9.	Class	
10.	Conditions	1. This Licence is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club certificate of the vessel, valid at all times during the Licence period. 2. Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018. 3. Any changes in the above particulars renders the licence invalid. 4. Not to carry more than xx persons other than normal ship operating crew.
11.	Name and contact details of DPA	

Signature of Issuing Authority

FOURTH SCHEDULE**[see rule 9(1) and (3)]****FORM OF APPLICATION FOR COMPOUNDING OF OFFENCES OR PENALTIES**

To
The Competent Authority
[Designation, e.g., Principal Officer]
[Office Address]

Subject: Application for Compounding of Offence/Penalty under section [relevant section] of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025).

Respected Sir/Madam,

I, [Full Name], son/daughter of [Father's Name], residing at [Address], hereby submit this application for compounding of offence/penalty under section [relevant section] of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025).

1. Details of Applicant
 - Full Name:
 - PAN/Registration No.:
 - Address:
 - Contact No./Email:
2. Details of Offence/Penalty
 - Nature of offence/penalty committed:
 - Relevant provisions of law violated:
 - Date(s) of commission of offence/penalty:
 - Brief facts of the case:
3. Status of Proceedings (Only to be filled in case of seeking compounding for offences)
 - Whether prosecution has been launched with details:
 - Stage of proceedings (if launched) with details:
 - Details of Order issued (wherever applicable):
4. Reasons for Seeking Compounding
 - Explain circumstances of the case:
 - submit evidence as to no malafide intention:
5. Details of payments and remunerations or charges received by the applicant with details
6. Undertaking

I undertake to pay the sum for compounding as may be determined by the authority and to comply with all conditions imposed.

I therefore, humbly request that the offence/penalty may kindly be compounded as per the applicable provisions.

Place:

Date:

(Signature of Applicant)

Name:

Designation (if applicable):

Seal (if applicable)

Table of applicable sum for compounding of offences and penalties

Sr. No	Section of the Coastal Shipping Act, 2025	Subject Matter	Sum for Compounding
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 15	Punishment for participating in coasting trade in contravention of section 3.	Fourteen lakh rupees, or three times the value of all fees or commission or payments received by the owner or charterer of the vessel for the voyage, which shall be declared while applying for compounding.
2.	Section 16	Punishment for participating in coasting trade after licence ceases to be valid.	Nine lakh rupees, or one and a half times the value of all fees or commission or payments received by the licensee of the vessel for all voyages conducted in contravention, which shall be declared while applying for compounding.
3.	Section 17	Punishment for taking vessel to sea in contravention of section 11.	Fourteen lakh rupees, or three times the value of all fees or commission or payments received by the owner or charterer of the vessel for the voyage, which shall be declared while applying for compounding.
4.	Section 18	Punishment for failure to furnish information or furnishing false information after notice.	Forty thousand rupees.
5.	Section 19	Punishment for violation of order of detention.	Fourteen lakh rupees.
6.	Section 20	Punishment for illegally detaining person authorised to detain vessel.	Fifty thousand rupees and all expenses of, and incidental to, such person being so taken to sea.
7.	Section 21	Penalty for reporting false or misleading information.	Fifty thousand rupees.
8.	Section 22	Penalty for violation of conditions of licence.	Nine lakh rupees, or one and a half times the value of all fees or commission or payments received by the licensee of the vessel for all voyages conducted in contravention, which shall be declared while applying for compounding.
9.	Section 23	Penalty for noncompliance of	Four lakh rupees, or one and a half times the value of all fees or commission or payments received by

		direction of Director General.	such licensee or agent for all voyages conducted in contravention of such direction, which shall be declared while applying for compounding.
10.	Section 24	Penalty for non-compliance with order of Central Government.	Fifteen lakh rupees.
11.	Section 25	General provision for contravention or non-compliance.	Fifty thousand rupees.

FIFTH SCHEDULE

[see rule 10(1)]

APPLICATION FOR APPEAL AGAINST ORDER OF ADJUDICATING OFFICER IMPOSING PENALTY

FORM FOR APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY

1. Details of the Appellant:
 - 1.1. Name of the Appellant:
 - 1.2. Designation of the Appellant:
 - 1.3. Address of the Appellant:
 - 1.4. Telephone/ Mobile No. of the Appellant:
 - 1.5. Email Id. of the Appellant:
 - 1.6. Name, Address, Telephone/Mobile No. and Email Id. of the Legal Representative of the Appellant, if any:
 2. Details of the Order appealed against under sub-section (2) of section 30 of the Coastal Shipping Act, 2025:
 - 2.1. Date:
 - 2.2. Number:
 - 2.3. Name of Adjudicating Officer:
 - 2.5. Section of the Coastal Shipping Act, 2025 to which the contravention has reference:
 - 2.6. Penalty imposed by the Adjudicating Officer:
 3. Details of Appeal:
 - 3.1. Statement of Facts :** (*Provide a concise statement of facts in a chronological order and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the questions of the law arising in the appeal, each paragraph should deal with, as far as possible, a separate issue*).
 - 3.2. Description of Grievance:** (*Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the adjudicating officer sub-section (1) of section 30 of the Coastal Shipping Act, 2025*).
 - 3.3. Grounds of Appeal:** (*Provide clear grounds of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon.*).
 - 3.4. Evidence:** (*Provide evidence for the justification/ grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof*).
 - 3.5. Prayer:** (*Clearly stipulate the reliefs sought*).
- Place:**
Date:

(Signature of Appellant)

SIXTH SCHEDULE
[see rule 13(1)]
FORMAT OF NOTICE OF DETENTION ORDER TO THE CONSULAR OFFICE

Detention Order

Detention Order No.	Date:
--------------------------	-------------

Name of Vessel	IMO No.	Port of Registry	Present Location	Name of Master
			PORT NAME	

Vessel_____, with IMO No._____, has reported non-compliance (indicate noncompliance) in respect of Section of the Coastal Shipping Act, 2025.

In exercise of the powers vested under section 29 of the Coastal Shipping Act, 2025, the officer, (name and designation as authorised), hereby orders the DETENTION of the Vessel_____, IMO No._____, subject to the Note below:

Note: -

___ (name of the vessel), ___ with IMO No. ___ is thus detained and not allowed to sail out of the port limits of ___ (name of the port) ___ without permission from this office. Unless otherwise informed explicitly, the vessel has to carry out all necessary compliance as per the applicable Section of the Act and be presented for re-verification to the officer.

Name.....

Signature.....

Date.....

-Copy to (wherever and as may be applicable)

9. The Master (to also ensure that owners / Agent / RO is informed forth with)
10. The Director General
11. Owners / Agent
12. Flag State Administration of vessel.
13. The Dy. Conservator/ Concerned Port Authority.
14. The Commissioner of Customs.
15. Indian Coast Guard
16. Classification Society (RO)
17. Embassy/ Consulate of flag of vessel

NOTE: The Master of the vessel has the “right of appeal” against this order to the Principal Officer.

SEVENTH SCHEDULE**[see rule 13 (2)]****FORM OF NOTICE OF PROCEEDINGS AGAINST LICENSEE, AGENTS ETC., OF A
FOREIGN FLAG VESSEL TO THE CONSULAR OFFICE.**

To
The [consular office of flag of vessel]
[Address]

Subject: Notice of proceeding under section [relevant section] of the Coastal Shipping Act, 2025.
Sir/Madam,

This is to notify the proceeding initiated against the (name of licensee, agent etc.) of the vessel as follows.

1. Details of vessel
 - Name:
 - IMO No.:
 - Flag:
 - Any other detail:
2. Details of Offence
 - Nature of offence committed:
 - Relevant provisions of law violated:
 - Date(s) of commission of offence:
 - Brief facts of the case:
3. Status of Proceedings
 - Whether prosecution has been launched with details:
 - Stage of proceedings (if launched) with details:

I therefore, humbly request that the notice as required per section 31 of the Coastal Shipping Act, 2025 may kindly be recorded.

Place:

Date:

(Signature)

Name:

Designation (if applicable):

Seal (if applicable)

[F. No. SY-19014/182/2025-MG]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.